


17/6/22 - पत्रावली, काठ पेरा ड्रॉप। चप्रील कारी डक
करीन काँ लारु काठ-प पेरा ड्रॉप /
काठ-प पत्रावली डि 5/7/22 से पेरा डे

बहायक कलेक्टर, गुडामालानी

05/07/22 -



पत्रावली काठ पेरा ड्रॉप कारी व कारी के
किचिवावला तदुपस्थिति पत्रकारान
से सभ किचिवावला कोर समय डे
लीन कार लीन-तीन कावके डिमांड
से कावकूड मकाके डिमांड के
पत्रकारान व पत्रकारान के किचिवावला
तदुपस्थिति मका उवाता उवाता
उकरा पत्रकारान की उकरा डारपी
व उकरा डेरवी डे रकारित किरा
जाता डे। पत्रावली-जिनेड सुमार डेका
डारिखत फतर डे।


बहायक कलेक्टर, गुडामालानी



11/3/20

॥श्री॥



सेवामें,

11/3/20

श्रीमान् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) महोदय,
गुडामालानी, जिला बाडमेर।

वादी :- रांका वल्द श्री मदरुपा, उम्र 80 वर्ष,
जाति मेघवाल (भाम्बी), निवासी भोलागर नगर,
हाल निवासी खुडाला, ग्रामपंचायत खुडाला, तहसील गुडामालानी।
जिला बाडमेर।

—: बनाम :-

प्रतिवादीगण :-

1. एजनों पुत्री नवा पत्नी श्री घमण्डाराम, उम्र 65 वर्ष,
कौम मेघवाल(भाम्बी), साकिन भोलागर नगर हाल निवासी बारासण।
2. भावी पुत्री नवा पत्नी श्री बस्ताराम, उम्र 63 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन भोलागर नगर, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
3. रमेश वल्द श्री लखा, उम्र 25 वर्ष,
4. मुकेश वल्द श्री लखा, उम्र 22 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
5. कदना पत्नी स्व0 लखा, उम्र 55 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
6. कालू वल्द श्री भीमा, उम्र 65 वर्ष,
7. मोडू पुत्र भीमा, उम्र 60 वर्ष,
8. जैसा पुत्र भीमा, उम्र 58 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।

रांका



11


9. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 बैंक गुडामालानी।
10. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 बैंक गुडामालानी।
11. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी।

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

महोदयजी,

वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

1. कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 जो हिन्दू विधि से शासित है संयुक्त हिन्दू परिवार के है तथा सह खातेदार है तथा पूर्व पुरुष स्व0 खुमा की सन्तान है पक्षकारान का वंशवृक्ष निम्न है -



2. कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी पैतक पूर्व पुरुष के खाते से वक्त सेंटलमेंट से चली आ रही है कि पटवार मण्डल लूणवाजागीर के मौजा भोलागरनगर खेत खसरा संख्या 245, 329 रकबा कंमंश: 0.09, 31.10 बीघा कुल रकबा 31.19 बीघा, किस्म बा0सो0, मौजा उकजी की ढाणी खेत खसरा संख्या 7, 18, 77 रकबा कंमंश: 37.19, 13.00, 23.05 बीघा कुल रकबा 74.04 बीघा, किस्म बा0सो0, बा.दो. एवं मौजा लूणवा जागीर खेत खसरा संख्या 448, 564 रकबा कंमंश: 12.04, 39.18 बीघा, कुल रकबा 52.02 बीघा किस्म बा0दोयम, बा0सोयम तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। वाद के अग्रिम पदों में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

क

रंका

3. कि उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा पटवार मण्डल लूणवाजागीर के मौजा भोलागरनगर खेत खसरा संख्या 245, 329 रकबा क्रमशः 0.09, 31.10 बीघा कुल रकबा 31.19 बीघा, किस्म बा0सो0, मौजा उकजी की ढाणी खेत खसरा संख्या 7, 18, 77 रकबा क्रमशः 37.19, 13.00, 23.05 बीघा कुल रकबा 74.04 बीघा, किस्म बा0सो0, बा.दो. एवं मौजा लूणवा जागीर खेत खसरा संख्या 448, 564 रकबा क्रमशः 12.04, 39.18 बीघा, कुल रकबा 52.02 बीघा किस्म बा0दोयम, बा0सोयम जिसमें वादी का संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 का 8 का 1/3-1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है पृथक भूमि नहीं है राजस्व रेकर्ड में खाता अभी संयुक्त वादी व प्रतिवादीगण उक्त खाते में सह खातेदार दर्ज हुए हैं। उक्त हिस्सा के अनुसार हम पक्षकार मौके पर काबिज है जिस पर हमारी ढाणियां, पानी टांके इत्यादी बने हुए यह हमारी पैतृक खातेदारी इसी अनुसार ही हम उक्त राजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है।
4. कि उक्त वादग्रस्त आराजी के खेत पटवार मण्डल लूणवाजागीर के मौजा भोलागरनगर खेत खसरा संख्या 245, 329 रकबा क्रमशः 0.09, 31.10 बीघा कुल रकबा 31.19 बीघा, किस्म बा0सो0, मौजा उकजी की ढाणी खेत खसरा संख्या 7, 18, 77 रकबा क्रमशः 37.19, 13.00, 23.05 बीघा कुल रकबा 74.04 बीघा, किस्म बा0सो0, बा.दो. एवं मौजा लूणवा जागीर खेत खसरा संख्या 448, 564 रकबा क्रमशः 12.04, 39.18 बीघा, कुल रकबा 52.02 बीघा किस्म बा0दोयम, बा0सोयम जिसमें वादी का संयुक्त 1/3- 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी लेकिन मौके पर किसी प्रकार की पक्की माठ बनी हुई नहीं है तथा कानूनी बंटवारा किया हुआ नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की खातेदारी में हस्तक्षेप करते हैं माठ तोड़ना खेत में अवैध जुताई करना तथा पक्की सीणे तार लगाकर बाड. बनाने पर उतारु है के लगते हुए आने के कारण बेशकिमती होने की वजह से उक्त भूमि को संयुक्त खाते से हमारे कब्जा काश्त

कु

51
कु